न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2482–एक/2014 – विरूद्व आदेश दिनांक 11–10–2012 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 133/2010–11 निगरानी

1– रूप सिंह 2– अभिलाख सिंह 3– सुरेन्द्रसिंह
तीनों पुत्रगण रामनारायण सिंह ग्राम बुधारा
तहसील पोरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्व

राजकुमार सिंह पुत्र घमण्डी सिंह
ग्राम बुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना -----अनावेदक

(आवेदक की ओर से श्री ए0के0बाजपेयी अभिभाषक)
(अनावेदक की ओर से श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 133/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–10–12 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार पोरसा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके ग्राम बुधारा स्थित आराजी कमांक 244 रकबा 0.439 हैक्टर पर कब्जा दर्ज करने का आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि संबत 2030 में रू. 5000/–प्रीमियम लेकर 50 वर्ष के लिये नाथू सिंह, बच्चूसिंह ने भूमि जुताई थी तभी से वह काविज होकर खेती कर रहा है। अतएव उसका कब्जा दर्ज किया जावे। उक्त पर

तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 11 / 93–94 अ 6 अ पंजीबद्व किया एंव सुनवाई करके दिनांक 29–1–1996 को आदेश पारित किया कि यदि आवेदकगण का भूमि पर कब्जा सिद्व होता है तब पटवारी कब्जा दर्ज करे। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील कमांक 72 / 2005–06 प्रस्तुत हुई। गजूसिंह की मृत्यु होने पर वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 4 के तहत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 12–8–08 पारित किया तथा मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 175 / 07–08 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 10–6–11 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 133 / 10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–10–12 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3 / निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4 / आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि गज्जू सिंह को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रतिअपीलार्थी कमांक 4 बनाया गया था जबकि गजूसिंह की मृत्यु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पूर्व हो चुकी थी, जिसके कारण व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं एंव मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि गजूसिंह कब मरा, इसकी जानकारी अनावेदक को नहीं थी और जैसे ही जानकारी हुई, उसके व्दारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। गजू सिंह के अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अन्य पक्षकार भी हैं जिसके कारण अपील अवैटमेंट में समाप्त नहीं की जा सकती।

5 / उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 29–1–96 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुये गजू सिंह को अनावेदक बनाया है और जब उसे गजू सिंह की मृत्यु होने की जानकारी हुई , जानकारी होते हुये उसने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का आवेदन प्रस्तुत कर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की है। वैसे भी सामान्य सिद्वांत है कि जब मामले में मृतक पक्षकार के अतिरिक्त अन्य पक्षकार भी हों, तब संपूर्ण मामला अवेट नहीं होता है , जबकि विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के आवेदन में स्पष्ट बताया गया है कि मृतक गजू सिंह एंव उसके वारिसान भिण्ड जिले के निवासी होने से एंव अपीलांट ग्राम बुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना का रहने वाला होने से मृतक की जानकारी में समय लगा है। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह केंप पोरसा के प्रकरण में गजूसिंह के अलावा अन्य 4 रिस्पाण्डेन्टस भी हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 12–8–08 से मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12–8–08, अपर कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 175 / 2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–6–11 तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 133 / 10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–10–12 में निकाले गये निष्कर्ष सामान्यतः समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 133 / 10–11 निगरानी में पारित आदेश दि0 11–10–12 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर